सुमेरपुर (पाली)

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

राजस्व वाद संख्या 34/2003 अर्जुनसिंह पुरोहित बनाम:
राजस्थान सरकार कौम
वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 RTAct,1955

दिनांक 13.06.2016
वादी मय अधिवक्ता एवं प्रतिवादी तहसीलदार सुमेरपुर उपस्थित।

यह सरबरक मिसल राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र बसन्त में बरोज आज पेश हुई। वादी अर्जुनसिंह ने इस आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प में उपस्थित होकर जाहिर किया कि लोक अदालत की भावना से इस प्रकरण की कार्यवाही को आगे चलाना नहीं चाहता है, इस प्रकरण से संबंधित माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां विचारार्थ अपील/निगरानी को उसके द्वारा जरिए विड्रोवल खारिज करवा देगा, इसलिए इस सरबरक मिसल की कार्यवाही को आज ही विड्रोवल द्वारा खारिज फरमावे।

अतः वादी की तथाकथित दलील को ध्यान में रखते हुए इस विचारण सरबरक मिसल की कार्यवाही को जरिए विड्रोवल खारिज किया जाता है। आदेश लोक अदालत केम्प बसंत में बरोज आज दिनांक 13.06.2016 को सुनाया गया। सरबरक मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर जिला-पाली

Scanned by CamScanner